

348

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

आ.प्र.स. सं. १००
दिनांक १-२-१८ को
प्रस्तुत प्रमाण सह
दिनांक १-२-१८ मिला।



निगरानी प्रकरण क्रमांक

वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, प.प्र. ग्वालियर

अबुब खा पिता श्री वाकड गो निवासी अमिरती, तहसील गुड, जिल्ला रोवा म०प्र०

III निगरानी/रीवा/भूरग/2018/0802

..... आवेदक / निगरानी

बनाम

- 1 आशा देवी पीत प्रयामलाल निवासी म्हाडाडी तहसील गुड, जिल्ला रोवा
- 2 - वसुध खा
- 3 - रमाइल खा
- 4 - इस्हाक खां सभी के पिता श्री वाकड खां
- 5 - वाकड खां पिता मेडा खां सभी निवासी अमिरती, तहसील गुड

जिल्ला रोवा म०प्र०

..... अना / गैर निगरानी

Rasanyan
1-2-18

निरा नो विरुद्ध आदेश जनुषि भागीय अधि
तहसील गुड जिल्ला रोवा प्रकरण क्रमांक 22आ
अ/16-17 जो आदेश दिनांक 10-01-2018
में पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूरतो से

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधिरक्ष न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10-01-2018 स्वैच्छा विध विधान स्व-न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3


2- यह कि अधिरक्ष न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा

दिनांक 15-04-2011 के आदेश की अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/0802

अयूब खां विरुद्ध आशा देवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 22/अ-6-8/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर0के0 जैन) 11-3-19 सदस्य.</p>